न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया

शिकारपुर – 102 / 2021

दिनांक–27 / 04 / 2022

शिकारपुर थाना कांड संख्या – 102 / 2021 के अन्तर्गत दिनांक 25 / 04 / 2022 से कारांबदी अभियुक्त अर्जुन यादव उर्फ मलु यादव उर्फ मल्लू यादव की ओर से उनका जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी।

विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

सूचक स0 अ0 नि0 पंकज कुमार सिंह के लिखित आवेदन में वर्णित अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 16 / 02 / 21 को रात्रि में सूचक का एक मोटर साईकिल चोरी हो गया जिसमें संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को ग्रामिणो द्वारा पकडा गया । पकडाये गये व्यक्ति का नाम पूछा गया तो अपना नाम झुन्ना पटेल बताया तथा कडाई से पूछताछ करने पर दो व्यक्ति का नाम और बताया प्रवीन कुमार राम एवं अर्जुन यादव उर्फ मल्लू यादव के साथ मिलकर रामाज्ञा यादव के दरवाजे पर सभी इक्टठा होकर बोले की हम तीनो मिलकर मोटरसाईकिल चुराते है तथा मोटर साईकिल अर्जुन यादव अपने साथ लेकर चला गया तथा प्रवीन कुमार राम को इसके एवज में 2500 / – रूपया दिया गया है । मुन्ना पटेल से प्राप्त सूचना के आधार पर सूचक अपने अन्य पुलिसकर्मी के साथ प्रवीन कुमार राम के दरवाजे पर एक पैशन प्रो मोटर साईकिल हिरो कम्पनी का मिला इसके संबंध में प्रवीन कुमार से पूछताछ किया गया तो कोई संतोषजनक जवाब एवं कागजात नही दिया । पूछताछ के क्रम में छठ चौधरी ने 9500 / – रूपये में खरीदे है जिसका कोई कागजात छठ चौधरी नही दिये है ।

न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया

शिकारपुर – 102 / 2021

दिनांक–27 / 04 / 2022

लगातार

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 414 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जो अजमानतीय है । सूचक ने आवेदक अभियुक्त पर मोटर साईकिल चोरी करने का आरोप लगाया है । आवेदक अभियुक्त के विरूध लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 26 / 04 / 2022 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी